बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विभागीय अधिसूचना सं0 3086 दिनांक 29.06.2017 के द्वारा डुमरॉव, बक्सर से स्थानांतरित करते हुए उदाकिशुनगंज, मधेपुरा जिला में पदस्थापित किया गया।

श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा बक्सर जिला से मधेपुरा जिला में किये गये स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका सं0 9922/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त समादेश याचिका में दिनांक 07.09.2017 को आदेश पारित किया गया कि श्री कुमार के द्वारा दिनांक 30.06.2017 को समर्पित आवेदन को तीन माह के अंदर निर्णय लिया जाय एवं उक्त अवधि तक आवेदक को वर्तमान पदस्थापन से हटाने हेतु कोई कड़ी कार्रवाई नही की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर सम्प्रति उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से संबंधित मामले की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर के विरूद्ध सरकार के स्तर से जॉच करायी गयी थी एवं जॉच के क्रम में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत पायी गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्र सं0 465 दिनांक 03.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

श्री कुमार से पूछे गये उपर्युक्त स्पष्टीकरण तथा उस परिप्रेक्ष्य में समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टव्या आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में श्री कुमार के विरूद्ध क्रमशः निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद्यान्नों का वितरण कराने, लाभुकों को नियमित रूप से खाद्यान्नों के वितरण का अनुश्रवण नही किये जाने, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का अनुश्रवण/निरीक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नही किये जाने के आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक 4807 दिनांक 22.09. 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में संचालित विभागीय कार्यवाही तथा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत बरती गयी गंभीर अनियमितता को ध्यान में रखते हुए श्री कुमार का स्थानांतरण अन्यत्र जिले में करने का निर्णय लिया गया, ताकि इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही प्रभावी नही हो सके।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 30.06.2017 को समर्पित आवेदन की समीक्षोपरांत यह परिलक्षित हुआ है कि श्री कुमार का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 3086 दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है, ताकि डुमरॉव अनुमंडल अंतर्गत बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित संचालित विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आरोपी पदाधिकारी के द्वारा नही डाली जाय।

इस प्रकार श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव सम्प्रति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा का आवेदन दिनांक 30.06.2017 को निष्पादित किया जाता है। श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानांतरित स्थान उदाकिशनगंज, मधेपुरा में अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 2/11/2017
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र03–स्था0 02–01/2015 5602 खाद्य, पटना/दिनांक– 06.11.17
प्रतिलिपि – श्री एस0 रजा अहमद, वरीय अधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता सं0 – 05, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2/11/2017
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र03–स्था0 02–01/2015 5602 खाद्य, पटना/दिनांक– 06.11.17
प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, बक्सर/मधेपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर/उदाकिशनगंज, मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं श्री मिथलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर सम्प्रति उदाकिशनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2/11/2017
सरकार के सचिव।

D:\Section 10\2015\KMS 2015-16.doc